

न्यायालय अपीलिय अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/15/2026  
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2026/18

**अपीलार्थी :-**  
श्री मोहन लाल जैन  
निवासी-बस स्टैण्ड थानागाजी,  
तहसील थानागाजी, जिला अलवर।

**बनाम**

**प्रत्यर्थी :-**  
राज्य लोक सूचना अधिकारी  
एवं उपखण्ड अधिकारी थानागाजी

**प्रवेश तिथि :: 24.02.2026**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय**

**दिनांक: 24.03.2026**

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 23.01.2026 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
4. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस क्रमांक 57 दिनांक 24.02.2026 जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में पत्रांक: 222 दिनांक 17.03.2026 के द्वारा, जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
5. प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी से प्राप्त जबाब के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक 08 दिनांक 06.01.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित भी कर दिया है।
6. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
7. अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांक: 24.03.2026 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



अति० जिला कलक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राज.)